न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 01/2017
दायर दिनांक : 23/03/2017
निर्णय दिनांक : 03/12/2025

उनवान

1. रणजीतसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. जयसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

अपीलान्ट

बनाम

1. मु. चन्दाकंवर बेवा मोहनसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. श्रीमती भंवरकंवर पिता मोहनसिंह पत्नी ऊंकारसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर हाल निवासी कोठियारा तहसील नाथद्वारा
3. श्रीमती जसकंवर पिता मोहनसिंह पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर हाल निवासी बांसी तहसील बड़ीसादड़ी
4. श्रीमती शांताकंवर पिता मोहनसिंह पत्नी रामसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर हाल निवासी बेदला तहसील उदयपुर
5. श्रीमती सावित्रीकंवर पिता मोहनसिंह पत्नी गणपतसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर हाल निवासी बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
6. श्रीमती उषाकंवर पिता मोहनसिंह पत्नी हिम्मतसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर हाल निवासी गोगुन्दा तहसील उदयपुर

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपस्थिति : 1. श्री के.जी.झंवर, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री राजकुमार लढ्ढा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि आराजी नंबर ग्राम कांकरवा 2305, 2306 व 2310 का नामान्तरण मु. चन्दा कंवर के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4, 5, 6 के हक में पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील आवश्यक कोर्टफीस पर मय तलवाना अन्दर अवधि पेश है। अधीनस्थ पंचायत का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ पंचायत द्वारा पारित निर्णय से पूर्व ही पक्षकारान के बीच दीवानी वाद किसी बक्षीसनामें को लेकर दिनांक 06.02.2017 से विचाराधीन है। दिनांक 14.02.2017 को रेस्पोडेन्ट चन्दा कंवर की उपस्थिति भी न्यायालय में हो चुकी है। इस प्रकार प्रकरण के विचाराधीन रहते नामान्तरण का अधिकार पंचायत को नहीं है फिर भी इस प्रकार का फैसला करने में भारी भूल की है। विवादित आराजियात मौरूसी मिल्कीयत की है। हम अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पुत्र हैं पहले ये आराजियात हमारे पिता मोहनसिंहजी के खातेदारी की थी व मोहनसिंह जी की मृत्यु के बाद अकेले रेस्पोडेन्ट चन्दा कंवर के नाम दर्ज हो गई जबकि हम अपीलान्ट ही बराबर के हकदार हैं फिर भी अधीनस्थ पंचायत ने कोई ध्यान न देकर इस प्रकार का फैसला करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ पंचायत ने हम अपीलान्ट को भी सूचित नहीं किया जो आवश्यक है फिर भी इन्तकाल पारित करने में भारी भूल की। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधीनस्थ पंचायत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Chandra Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को सूचना जारी की। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1, 2, 3 व 5 की ओर से वकील श्री राजकुमार लढ्ढा ने अधिकार पत्र पेश किया। दौराने कार्यवाही रेस्पोडेन्ट सं. 4 फौत होने से वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 पेश किया। जिसका जवाब वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कर जवाब में अंकित किया कि मृतक रेस्पोडेन्ट सं. 3 जसकुंवर

अपीलान्ट की सगी बहन थी जिसकी मृत्यु होने की जानकारी अपीलान्ट को मृत्यु दिनांक से ही थी उसके बाद श्रीमान् वरिष्ठ सिविल जज साहब, कपासन के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 7/2017 बअनवान रणजीतसिंह बनाम चन्दाकुंवर दीवानी वाद में भी हम रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2023 को न्यायालय आदेशिका पर उक्त जसकुंवर के देहावसान की जानकारी दे दी गई थी जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता को अच्छी तरह से है। उसके बावजूद भी अपीलान्ट की ओरसे कोई आवेदन निश्चित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं काल्पनिक तिथि को आधार बना आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण आवेदन अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। आवेदन के साथ मियाद बाबत भी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा न्यायालय में विचारीधन प्रकरण सं. 19/2017 बअनवान भंवरकुंवर बनाम रणजीतसिंह राजस्व वाद में भी जसकुंवर के निधन की सूचना बाबत आवेदन दिनांक 03.10.2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है। जिससे भी अपीलान्ट को जानकारी है। अतः निवेदन है कि आवेदन अपीलान्ट मय हर्ज खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 खारिज करने का निवेदन किया साथ ही प्रश्नगत भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कपासन से पारित निर्णय दिनांक 05.08.2025 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद अस्वीकार किया गया है चूंकि न्यायिक प्रकरण अस्वीकार हो चुका है अतः प्रस्तुत अपील इस न्यायालय से खारिज किया उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 22 नियम 4 के प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कपासन से पारित निर्णय दिनांक 05.08.2025 में वाद अस्वीकार किया गया है। अतः वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने से प्रस्तुत अपील को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:58 IST
Reason: SelfAttested